



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10102026-277042
CG-MH-E-10102026-277042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]
No. 609]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 8 अक्टूबर, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(म्यूचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/324.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11(2)(ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 में, -

(I) अध्याय-V में, विनियम 28 में, शब्दों “पाँचवीं अनुसूची में” की जगह शब्द, अंक तथा चिह्न “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इंटरमीडियरी) विनियम, 2008 के अध्याय - IIIघ में” आ जाएँगे।

- (II) अध्याय-XVI में, विनियम 81(ठ) में, शब्दों “जारी किया गया विज्ञापन पाँचवीं अनुसूची में” की जगह शब्द, अंक तथा चिह्न “जारी किए गए विज्ञापन से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इंटरमीडियरी) विनियम, 2008 के अध्याय - III में” आ जाएँगे।
- (III) पाँचवीं अनुसूची हट जाएगी।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./378/2026-27]

टिप्पणी :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 (अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/294) 15 जनवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 7 जुलाई, 2026 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2026 (अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2026/307) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/324.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11(2)(c) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the one hundred eightieth day from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026, -
 - (I) In Chapter V, in regulation 28, the words “in the Fifth Schedule” shall be substituted with the words “in Chapter IIID of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008”.
 - (II) In Chapter XVI, in regulation 81(I), the words “in Fifth Schedule” shall be substituted with the words “in Chapter IIID of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008”.
 - (III) Fifth Schedule shall be omitted.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Extty./378/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 2026, was published in the Gazette of India on January 15, 2026 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/294 and was last amended on July 7, 2026 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2026 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/307.